എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ
തൊഴിൽമന്ത്രാലയം,ഭാരതസർക്കാർ
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
Ministry of Labour& Employment, Govt. of India
[आई.एस.ओ./ISO 9001:2015 प्रमाणित/Certified]

क.रा.बी.नि
ESIC

सत्यमेव जयते

സബ്റീജിയണൽഓഫീസ്, എറണാകുളം
5&6 നില,ബിഎസ്എൻഎൽഭവൻ,കളത്തിപ്പറമ്പ്റോഡ്, എറണാകുളം-16
उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम
5 वां एवं 6 ठा तल, बी.एस.एन.एल भवन,कलथीपरम्बु रोड,एरणाकुलम- 16
SUB REGIONAL OFFICE, ERNAKULAM
5th & 6th floor, BSNL Bhavan, Kalathiparambu Road, Ernakulam-16
दूरभाष/Phone: 0484-2533541/42
ईमेल/Email: sro-ernakulam@esic.nic.in

सं. 47-ए-49/22/2021-रा.भा.(3) **दिनांक: .04.2025**

परिपत्र

विषय:- <u>संयुक्त निदेशक (प्रभारी) की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2025 को सम्पन्न उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का मसौदा कार्यवृत्त।</u>

संयुक्त निदेशक (प्रभारी) की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2025 को सम्पन्न उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मसौदा कार्यवृत्त की प्रति सूचना, आवश्यक कार्रवाई तथा कड़े अनुपालन के लिए प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

Digitally signed by
PRASANTH D
Date: 16-04-2025
16:16:43

(प्रशान्त डी.)
<u>संयुक्त निदेशक (प्रभारी))</u>

<u>प्रति:-</u>

1. उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।
2. उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम के सभी अधिकारी/ अधीक्षक/ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/ शाखाएँ।
3. उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम के अधीनस्थ सभी शाखा कार्यालयों के शाखा प्रबन्धक।
4. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ सादर प्रेषित:-</u>

1. महानिदेशक, क.रा.बी.निगम, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उप निदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(दक्षिण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय भवन, ब्लॉक सी-1, सातवान ताल, सेस पी-ओ, कोच्चि-682037, केरल।
3. अध्यक्ष, कोच्चि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(टॉलिक), आकार विभाग, केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि-682018, केरल।

उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एरणाकुलम, केरल की दिनांक 06.03.2025 को सम्पन्न विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का मसौदा कार्यवृत्त

उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एरणाकुलम, केरल की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संयुक्त निदेशक (प्रभारी) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2025 को आयोजित की गई।

श्रीमती लिज़ थॉमस, प्रवर श्रेणी लिपिक, राजभाषा शाखा ने सर्वप्रथम संयुक्त निदेशक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय गोवा से दौरे पर आईं श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, बैठक में उपस्थित सभी समिति सदस्यों/ शाखा प्रतिनिधियों तथा वर्चुअल रूप से बैठक में उपस्थित सभी शाखा कार्यालय प्रबंधकों/ शाखा कार्यालय प्रतिनिधियों का अभिवादन किया। तदोपरांत संयुक्त निदेशक (प्रभारी) की अनुमति से बैठक प्रारंभ की गई। बैठक की आगे की कार्रवाई का संचालन श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा किया गया।

मद संख्या-1	**पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।**

श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अवगत कराया कि उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, एरणाकुलम, केरल की पिछली बैठक दिनांक 05.12.2024 को आयोजित की गई थी जिसके कार्यवृत्त सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों/ शाखाओं को परिचालित कर दिये गए थे। बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों को पिछली बैठक के कार्यवृत्त मिलने की पुष्टि की। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में कहा कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2024-2025 में निरीक्षण संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में उप क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ कुल शाखा कार्यालयों/ शाखाओं में से 25% शाखा कार्यालय/ शाखाओं का निरीक्षण मार्च, 2025 से पहले कर दिया जाए। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि दिनांक 04.03.2025 को उप क्षेत्रीय कार्यालय एरणाकुलम के अधीनस्थ कुल 14 शाखा कार्यालयों में से 04 शाखा कार्यालय- एरणाकुलम, त्रिप्पुनित्तुरा, फोर्ट कोच्ची, कलमस्सेरी का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया है तथा दिनांक 05.03.2025 को उप क्षेत्रीय कार्यालय की कुल 10 शाखाओं में 03 शाखाओं- प्रशासन शाखा, सामान्य शाखा तथा हितलाभ शाखा का निरीक्षण करके संबंधित निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने कहा कि कार्यालय में नियमित अनुवाद अधिकारी के लिए की तैनाती की जानी अपेक्षित है जिसके लिए मुख्यालय को पत्र भी भेजे गए थे परंतु अभी तक नियमित अनुवाद अधिकारी की तैनाती नाही हुई है। उन्होने कहा कि अब कुछ समय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की डीपीसी/ पदोन्नति होनी संभावित है तथा आशा है कि शीघ्र ही कथोक्त अनुवाद अधिकारियों में से किसी की तैनाती इस कार्यालय में कर दी जाए। उन्होने कहा कि यदि अध्यक्ष महोदय सहमत हों तो नियमित वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी की तैनाती के लिए मुख्यालय को पुनः पत्र लिखा जा सकता है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने सहमति व्यक्त की।

तदोपरांत वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने उपस्थित सभी सदस्यों से कार्यवृत्त संबंधी किसी आपत्ति/ सुझाव के लिए अनुरोध किया। किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ अतः कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति तथा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या-2	**दिनांक 31.12.2024 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।**

श्रीमती विनीता, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सूचित किया कि दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही की रिपोर्टानुसार आलोच्य तिमाही के दौरान उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम द्वारा 'क' क्षेत्र को कुल 55 पत्र भेजे गए जिनमें से 51 पत्र हिन्दी/ द्विभाषी तथा 4 पत्र केवल अंग्रेजी में भेजे गए। इस प्रकार 'क' क्षेत्र के साथ 92.73% मूल पत्राचार हिन्दी में किया गया। 'ख' क्षेत्र के साथ आलोच्य तिमाही के दौरान कोई मूल पत्राचार नहीं किया गया। 'ग' क्षेत्र को कुल 944 पत्र भेजे गए जिनमें से 800 पत्र हिन्दी/ द्विभाषी तथा 144 पत्र केवल अंग्रेजी में भेजे गए। इस प्रकार 'ग' क्षेत्र के साथ 84.75% मूल पत्राचार हिन्दी में किया गया। तिमाही के दौरान कुल 837 पृष्ठ टिप्पणियाँ लिखी गईं जिनमें से हिन्दी में लिखे गए पृष्ठों की संख्या 500 रही। इसके अतिरिक्त तिमाही में हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या 31 थी जिनमें से किसी भी प्राप्त पत्र का उत्तर केवल अंग्रेज़ी में नहीं दिया गया। इस प्रकार उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम में वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2024-2025 में 'ग' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा सभी से यह स्थिति बनाए रखने के लिए कहा।

मद संख्या 3	**राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन**

श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों को धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए यह बताया कि उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम में आलोच्य तिमाही के दौरान धारा 3(3) से संबन्धित कुल 85 कागजात जारी किए गए। उन्होने कहा कि प्राप्त सूचनानुसार सभी कागजात द्विभाषी/ हिन्दी रूप में ही जारी किए गए हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने पुष्टि की कि उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम में राजभाषा नीति के अनुपालनार्थ धारा 3(3), नियम 5 आदि सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा इसका पूर्णरूपेण अनुपालन किया जा रहा है।

मद संख्या 4	**वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चर्चा।**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सभी सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2024-2025 लक्ष्य के संबंध में अवगत कराया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए माह अप्रैल से लागू एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। भाषायी आधार पर पत्राचार के लक्ष्य 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के अनुसार वार्षिक कार्यालय में दिए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2024-2025 का वार्षिक कार्यक्रम 03 अप्रैल, 2024 में उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम की सभी शाखाओं तथा शाखा कार्यालयों को जारी किया गया था।

वार्षित कार्यक्रम वर्ष 2024-2025 पर चर्चा में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सूचित किया कि उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम का मूल पत्राचार प्रतिशत, नियम 5 प्रतिशत, हिन्दी टिप्पण तथा शाखा विनिर्दिष्ट करने का लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य से अधिक है तथा साथ ही हाल ही में वर्ष 2024-2025 के लिए राजभाषा संबंधी निरीक्षण के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया गया है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की।

मद संख्या 5	**स्थापित जांच बिन्दुओं का अनुपालन**

श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार तथा मुख्यालय के निर्देशानुसार उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम में जांच बिन्दु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 के लिए जांच बिन्दुओं की प्रति अप्रैल 2024 को सभी शाखाओं/ अधिकारियों / शाखा कार्यालयों को कड़े अनुपालनार्थ परिचालित कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को जांच बिन्दुओं के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करने का निदेश दिया।

मद संख्या 6	**राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने समिति को राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के विषय में अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने सभी समिति सदस्यों से कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है अतः इसका पूर्णरूपेण अनुपालन अपेक्षित होता है। तिमाही रिपोर्टानुसार उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम में नियम-5 का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जा रहा है। आलोच्य तिमाही में हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या 31 थी जिनमें से किसी भी प्राप्त पत्र का उत्तर केवल अंग्रेज़ी में नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में भी इसी प्रकार इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

मद संख्या 7	**नियम 11 का अनुपालन**

नियम-11 के अंतर्गत आने वाली कार्यालयीन प्रयोग की सामग्री का विवरण देते हुए सभी से अनुरोध किया गया कि रजिस्टर, फॉर्म, मानक मसौदे, रबड़ मुहरें, सॉफ्टवेयर आदि प्रत्येक सामग्री द्विभाषी रूप में बनाई या छपवाई जाए। इस पर राजभाषा शाखा द्वारा अवगत कराया गया कि उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम में सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी उपलब्ध है और उसका प्रयोग भी हो रहा है। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सभी सदस्यों से कहा कि इसके साथ-साथ उनके हिन्दी प्रयोग और हिन्दी में प्रविष्टियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

मद संख्या 8	**अधीनस्थ शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति।**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि हाल ही में 04 शाखा कार्यालयों में राजभाषा संबंधी किए गए निरीक्षण में यह संज्ञान में आया है कि शाखा कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। इसपर शाखा कार्यालय प्रबन्धकों ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि श्रीमती विनीता, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी की सभी शाखा कार्यालय प्रबन्धकों के साथ की गई वर्चुअल बैठक में संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा

नियम आदि के बारे में बताया गया तथा राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन दिया गया और उनकी शंकाओं/ समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया जिसके अनुसार अब शाखा कार्यालयों में राजभाषा अनुपालन किया जा रहा है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी की सराहना की तथा सभी शाखा कार्यालयों के कार्मिकों को राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में और अधिक प्रयासरत रहने के निदेश दिए।

इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि कुछेक शाखा कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट अभी भी प्राप्त नहीं हो रही है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखा कार्यालयों को रिपोर्टें बैठक से 15 दिनों के अंदर भेजने के स्पष्ट निदेश दिए तथा कहा कि भविष्य में भी संबन्धित रिपोर्ट नियमित रूप से तथा समय पर राजभाषा शाखा, उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

मद संख्या 9	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा सभी समिति सदस्यों से कोई सुझाव/ चर्चा हेतु यदि कोई अन्य विषय हों तो, आमंत्रित किए। किसी से कोई अन्य विषय/ चर्चा बिन्दु प्राप्त न होने पर वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय से बैठक समाप्त करने की अनुमति मांगी।

अध्यक्ष महोदय ने एरणाकुलम में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर अपना संतोष व्यक्त किया तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी को कहा।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन हुआ।

<u>बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों के सूची निम्नानुसार है:-</u>

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम/ पदनाम (सर्वश्री/ श्रीमती/ कुमारी)**	**अध्यक्ष/ सदस्य सचिव/ सदस्य**	**हिन्दी ज्ञान स्तर**	**हिन्दी कार्य का प्रतिशत**
1.	प्रशान्त डी, उप निदेशक(प्रभारी)	अध्यक्ष	कार्यसाधक	68%
2.	विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा(एरणाकुलम का राजभाषा संबंधी अतिरिक्त कार्य प्राप्त)	सदस्य सचिव	प्रवीणता प्राप्त	100%
3.	अनंतकृष्णन यु, अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक	60%
शाखा प्रतिनिधि				
4.	दीपा के एस, सहायक	शाखा प्रतिनिधि	कार्यसाधक	60%
5.	धन्या ए वी, सहायक	शाखा प्रतिनिधि	कार्यसाधक	60%
6.	कविता एन, सहायक	शाखा प्रतिनिधि	कार्यसाधक	60%
7.	श्रीलक्ष्मी, सहायक	शाखा प्रतिनिधि	कार्यसाधक	60%
8.	पार्वती एस, बहुकार्य स्टाफ	शाखा प्रतिनिधि	कार्यसाधक	60%
9.	अष्मा के शाजी, अवर श्रेणी लिपिक	शाखा प्रतिनिधि	कार्यसाधक	60%
10.	मिथुन के एल, प्रवर श्रेणी लिपिक	शाखा प्रतिनिधि	कार्यसाधक	60%
11.	मंजुनाथ, बहुकार्य स्टाफ	शाखा प्रतिनिधि	कार्यसाधक	60%
12.	अमलेश कुमार पी के, बहुकार्य स्टाफ	शाखा प्रतिनिधि	कार्यसाधक	60%
सभी शाखा कार्यालयों के प्रबन्धकों/ प्रतिनिधियों ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।				
राजभाषा शाखा, क.रा.बी.निगम, उप क्षे.का. एरणाकुलम की निम्नलिखित कार्मिक बैठक में सहायतार्थ उपस्थित रहीं :-				
13.	लिज़ आन थॉमस, प्रवर श्रेणी लिपिक (राजभाषा शाखा का अतिरिक्त कार्य प्राप्त)	बैठक में सहायतार्थ	कार्यसाधक	60%